

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

गोविन्द चौधरी,
उप सचिव।

सेवा में,

श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव-सह-
संचालन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 07/01/2026

विषय:- दिनांक-13.01.2026 को विभागीय कार्यवाही से संबंधित संचालन पदाधिकारियों की बैठक के संबंध में।

प्रसंग:- मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-665 दिनांक-18.12.2025 एवं पत्रांक-264 दिनांक-13.06.2025।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-16.12.2025 को मुख्य जाँच आयुक्त का निदेशालय, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा पंचायती राज विभाग अंतर्गत संचालित विभागीय कार्यवाही के मामलों का मासिक अनुश्रवण टिप्पणी के कंडिका-3(iv) में दिये गये निदेश के आलोक में विभाग स्तर पर संचालित विभागीय कार्यवाहियों की स्थिति तथा उससे संबंधित बिन्दुओं के अनुश्रवण हेतु विभागीय नोडल पदाधिकारी-सह-अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-13.01.2026 को अपराह्न 03:00 बजे V.C के माध्यम से सभी संचालन पदाधिकारियों की बैठक आहूत की गयी है।

विदित हो कि विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-450-सह-पठित ज्ञापांक-9192 दिनांक-22.07.2025 के द्वारा श्री कृष्णदेव सिंह, तत्कालीन प्रभारी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के तहत आपको संचालन पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित करते हुए विभागीय कार्यवाही का संचालन कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, जो सम्प्रति अप्राप्त है।

अतएव निदेशानुसार प्रासंगिक पत्र एवं निदेशालय द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त निर्धारित बैठक (V.C) में निदेशालय द्वारा वांछित सूचना (विहित प्रपत्र में) के साथ ससमय भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांक:-1प/स्था०-07-37/2025/195/पं०रा०, पटना, दिनांक...7.../1.../2026
प्रतिलिपि:-जिला पंचायत राज पदाधिकारी-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)

उप सचिव

ज्ञापांक:-1प/स्था०-07-37/2025/195/पं०रा०, पटना, दिनांक...7.../1.../2026
प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव, मुख्य जाँच आयुक्त का निदेशालय, सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक-665 दिनांक-18.12.2025 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)

उप सचिव

ज्ञापांक:-1प/स्था०-07-37/2025/195/पं०रा०, पटना, दिनांक...7.../1.../2026
प्रतिलिपि:- श्री नजर हुसैन, अपर सचिव-सह-विभागीय नोडल पदाधिकारी, पंचायती राज
विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

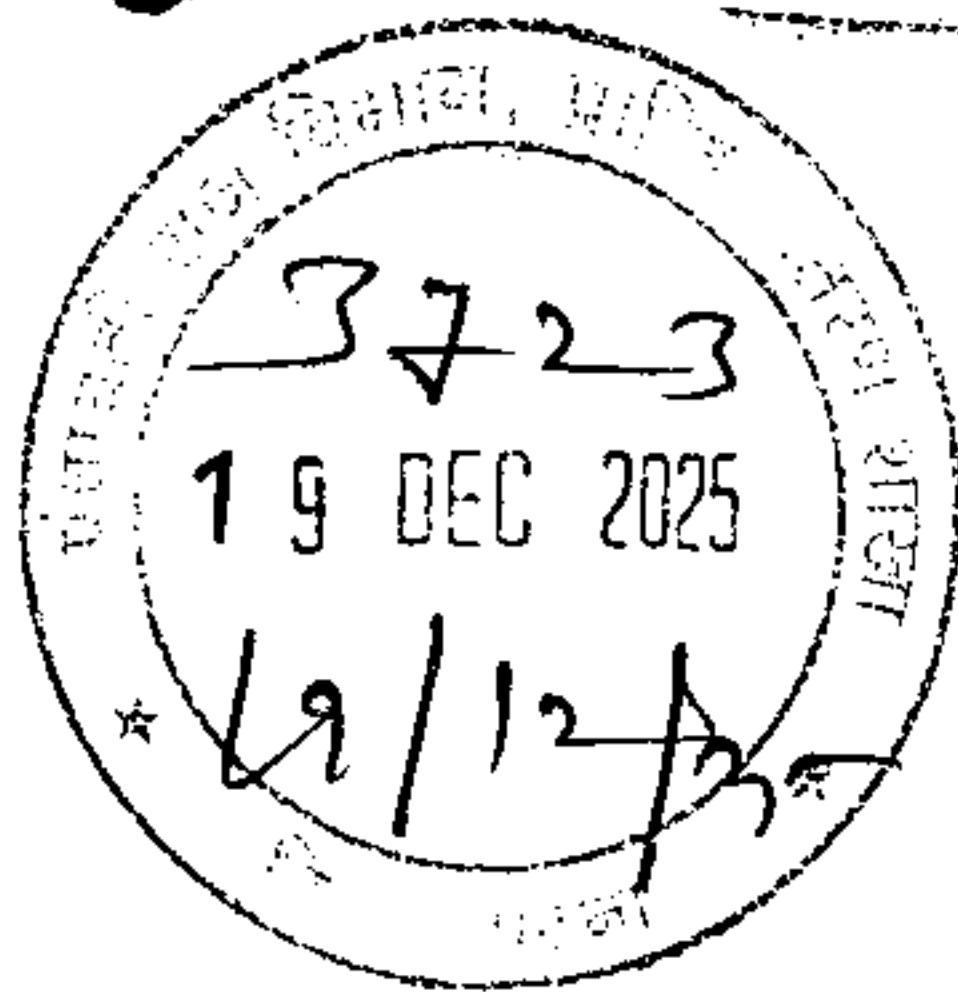
(गोविन्द चौधरी)

उप सचिव

ज्ञापांक:-1प/स्था०-07-37/2025/195/पं०रा०, पटना, दिनांक...7.../1.../2026
प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)

उप सचिव



मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय

सामान्य प्रशासन विभाग

बिहार, पटना

विभागीय जाँच के मामलों का मासिक अनुश्रवण

दिनांक - 16.12.2025

समय - 09:30

1. विभाग का नाम - पंचायती राज विभाग
2. अनुश्रवण हेतु उपस्थित विभागीय दल के सदस्य:-

नाम	पदनाम	मोबाइल न.	ई.मेल
(1) श्री गोविन्द चौधरी	उप सचिव	9470275064	
(2) श्री शिवेन्द्र कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी	9430244563	
(3) श्री आशीष कुमार झा	प्रशाखा पदाधिकारी	6202135567	

3. अनुश्रवण टिप्पणी

क्र सं.	मामलों की प्रकृति	कुल संचालित मामले	पाँच वर्षों से अधिक अवधि से संचालित	तीन वर्षों से अधिक एवं पाँच वर्ष से कम अवधि से संचालित	एक वर्ष से अधिक एवं तीन वर्ष से कम अवधि से संचालित	एक वर्ष से कम अवधि से संचालित	माह में निष्पादित मामलों की संख्या
1	ट्रैप	0	0	0	0	0	1
2	नन ट्रैप	7	1	1	0	5	0
3	कुल	7	1	1	0	5	1

(i) प्रशासी विभाग के प्रतिवेदन में सात मामलों में संचालन पदाधिकारी के द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित कर दिया जाना प्रतिवेदित है।

(ii) विभागीय दल द्वारा बताया गया कि शेष सात मामलों में जांच की कार्रवाई चल रही है।

(iii) प्रतिवेदन के क्रम संख्या 11 पर श्री सुबोध कुमार झा, तत० प्रभारी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णियाँ के मामले में जांच प्रतिवेदन विगत माह में समर्पित किया गया है। यह मामला ट्रैप का है।

उप सचिव
पंचायती राज विभाग
पे० सं० 10522
दि० 23/12/25

4722
26/12/25

9
18/12/25
(89)

- (iv) प्रतिवेदन के कॉलम-10 से 14 तक सूचनाएं अंकित नहीं की गई है। विभागीय दल के द्वारा इस संबंध में जांच अधिकारियों से सूचना प्राप्त कर अगले माह के प्रतिवेदन में उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।
- (v) प्रतिवेदन के क्रम संख्या 9 एवं 11 पर अंकित मामलों में कॉलम-8 में मामले के न्यायालय वाद से आच्छादित होने की सूचना दी गई है, किन्तु निर्धारित समय सीमा अथवा समय सीमा समाप्ति की तिथि का अंकन नहीं किया गया है। इन दोनों मामलों में संचालन पदाधिकारी के द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किये जा चुके हैं।
- (vi) क्रम संख्या 2 पर अंकित श्री चन्द्रेश्वर कुमार सिंह का मामला पांच वर्षों से अधिक अवधि से एवं क्रम संख्या 1 पर अंकित श्री अरुण कुमार का मामला तीन वर्षों से अधिक अवधि से संचालित है। विभागीय दल को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-12787, दिनांक-28.08.2015 के आलोक में मामले के ससमय निष्पादन हेतु संचालन पदाधिकारी से अनुरोध करने का परामर्श दिया गया।
- (vii) प्रतिवेदन में वैसे मामले भी दर्ज हैं जिनमें जांच प्रतिवेदन समर्पित है एवं दण्ड अधिरोपण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। दल को भविष्य में ऐसे मामलों को मासिक प्रतिवेदन में अंकित नहीं किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

ह०/-
(प्रभात कुमार)
संयुक्त सचिव

मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय
सामान्य प्रशासन विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक : मु.जाँ.आ.नि. (अनु०) 26/2025 665

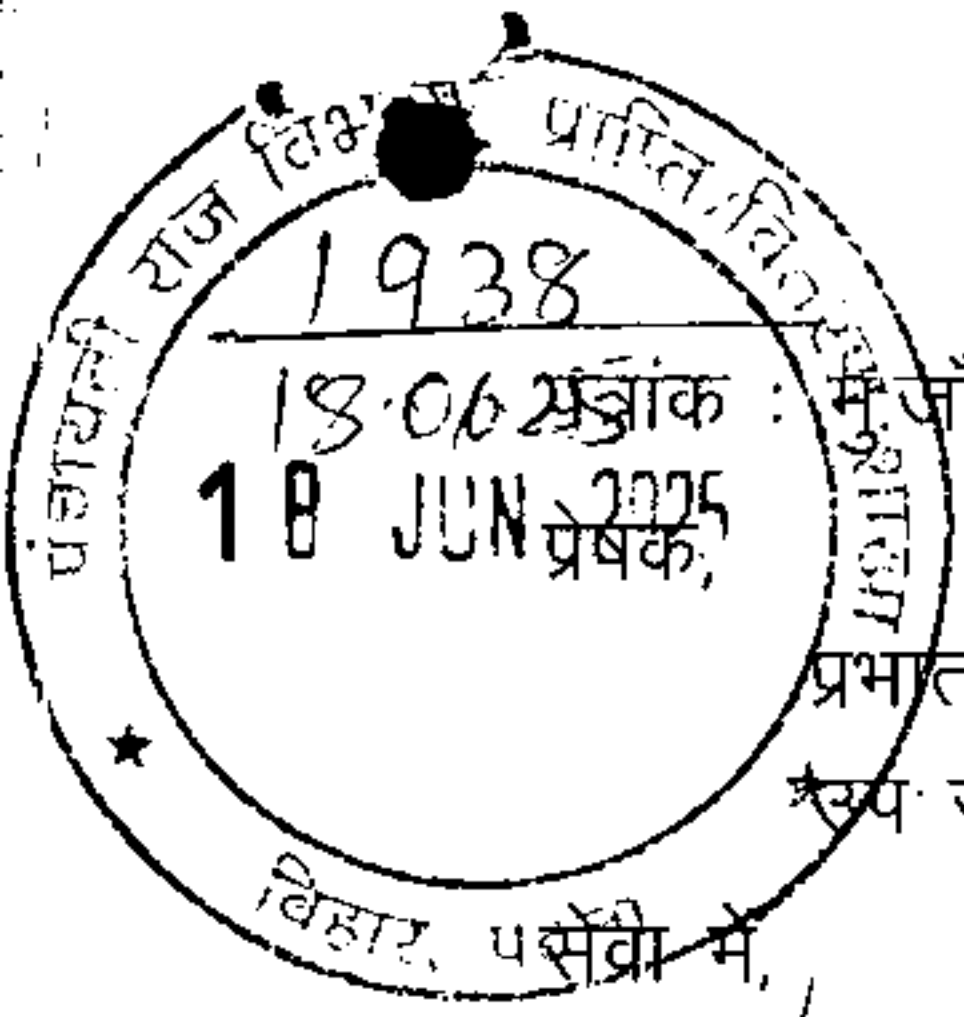
दिनांक 18.12.2025

- प्रतिलिपि : 1. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को निदेशानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को निदेशानुसार सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. नोडल पदाधिकारी (विभागीय जाँच) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को निदेशानुसार सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.12.25
(प्रभात कुमार)
संयुक्त सचिव

(39)

बिहार सरकार
मुख्य जाँच आयुक्त का निदेशालय
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना



संज्ञांक : मुख्य जाँ.आ. (स्था.) 12/2025 - 264 अ.उ.०

दिनांक : 13.6.2025

प्रभात कुमार,
उप सचिव,

सभी विभागीय नोडल पदाधिकारी (विभागीय जाँच)
सभी संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच
सभी अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच)
बिहार।

प्रभात कुमार

विषय: जाँच (विभागीय कार्यवाही) के संचालित मामलों का मासिक प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2162, दिनांक 05.02.2025 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के प्रावधानों के तहत सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के सम्यक संचालन, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के उद्देश्य से "मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय" का गठन किया गया है।

उक्त संकल्प की कंडिका-3.(3)(क)(i) के अनुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के तहत विभिन्न अनुशासनिक प्राधिकारों द्वारा की गयी अनुशासनिक जाँच की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण, निरीक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना निदेशालय के मुख्य दायित्वों में शामिल है। उक्त प्रयोजन हेतु आप सभी नोडल पदाधिकारी घोषित हैं।

विभिन्न अनुशासनिक प्राधिकारों द्वारा की गयी अनुशासनिक जाँच की प्रक्रिया का प्रभावी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए निदेशालय के स्तर से गूगल शीट (Google Sheet) में तैयार किया हुआ एक विहित प्रपत्र आपको ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।

अनुरोध है कि संलग्न गूगल शीट (Google Sheet) की लिंक विवरणी में अपने पदनाम के समक्ष अंकित लिंक के माध्यम से गूगल शीट (Google Sheet) खोलकर उसमें प्रविष्टियाँ दर्ज करने की कृपा की जाए। पूरी तरह भरे गये प्रपत्र का प्रिंट आउट लेकर स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित कर तिथि अंकित करते हुए स्कैन कॉपी को तत्क्षण ही निदेशालय के E-mail ID : dgcicbihar@gmail.com पर मेल किया जाना सुनिश्चित किया जाय। सुगमता हेतु आपसे संबंधित गूगल शीट (Google Sheet) का लिंक आई. डी. आपके व्हाट्स-ऐप नंबर पर भी प्रेषित है। जून माह का प्रतिवेदन उपर्युक्त विधि से एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

प्रभात कुमार
(प्रभात कुमार)
उप सचिव

37

संकेतावली (प्रपत्र की कड़िका-15 हेतु)
विभागीय कार्यवाही संचालन के मानक स्तर
(केवल विभागीय कार्यवाही के अनुश्रवण प्रयोजनार्थ)

1	आरोपित पदाधिकारी द्वारा याचित दस्तावेज उसे उपलब्ध करा दिये गये हैं।
2	आरोपित पदाधिकारी का बचाव अभिकथन प्राप्त है। उनके पक्ष में साक्षियों की सूची समर्पित कर दी गई है।
3	आरोपों की सुनवाई आरंभ।
4	प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत गवाहों का परीक्षण / प्रतिपरीक्षण एवं पुनर्परीक्षण कर लिया गया है।
5	आरोपित पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत गवाहों का परीक्षण / प्रतिपरीक्षण (प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के द्वारा) एवं पुनर्परीक्षण (आरोपित पदाधिकारी द्वारा) कर लिया गया है।
6	आरोपी के गवाह यदि हैं तो उनका परीक्षण / प्रतिपरीक्षण प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी / संचालन पदाधिकारी द्वारा कर लिया गया है।
7	आरोपित पदाधिकारी के द्वारा (ऐच्छिक) स्वपरीक्षण समर्पित कर दिया गया है।
8	आरोपित पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी से अपना पक्ष लिखित अथवा मौखिक रूप से प्राप्त कर लिया गया है।
9	संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही को जाँच प्रतिवेदन लेखापित करने हेतु आरक्षित कर लिया गया।
10	जाँच प्रतिवेदन प्रशासी विभाग अनुशासनिक प्राधिकार को समर्पित कर दिया गया है।

